

अनुदान संख्या 70 - संसदीय कार्य मंत्रालय
GRANT No. 70-MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
राजस्व:	Revenue:				
मूल	Original	6,00,00	6,92,00	6,51,74	-40,26
पूरक	Supplementary	92,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि Amount surrendered during the year					38,75

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान में, कुल बचतें (40.26 लाख रु.) अक्टूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 92.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 44 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थीं।

1. In the grant, the overall savings (Rs.40.26 lakhs) constituted 44 percent of the supplementary grant of Rs.92.00 lakhs obtained in October, 2008 and 6 percent of the total sanctioned provision.

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	600.00	653.25	651.74	-1.51
पू.	S.	92.00			
पु.	R.	-38.75			

(I) "सचिवालय - संसदीय कार्य मंत्रालय" के अंतर्गत 600.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 92.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 692.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो सम्मेलन कक्ष का आधुनिकीकरण किए जाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायती उपायों के कारण 40.26 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Secretariat - Ministry of Parliamentary Affairs" - the original provision of Rs.600.00 lakhs was augmented to Rs.692.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.92.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.40.26 lakhs - due to non-finalisation of proposals for modernisation of conference room and economy measures.